आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
10/01/2022	**न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0 आर0 पुनरीक्षण 114/2014** **जयराम तिवारी बनाम् राज्य तथा सुरेश मुण्डा।** **आदेश** प्रश्नगत पुनरीक्षण वाद में आवेदक द्वारा उपायुक्त, राँची के एस0 आर0 अपील–345R/15/2014-15 में पारित आदेश को चुनौती दी गयी है। प्रश्नगत वाद में उपायुक्त द्वारा आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को अवैध मानते हुये, विनियमन पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हुये, आदिवासी रैयत के पक्ष में भूमि वापसी का आदेश पारित किया गया है। प्रश्नगत् वाद में आवेदक अंतिम रूप से दिनांक–19.11.2018 को उपस्थित हुये थे। उक्त तिथि के पश्चात् किसी भी सुनवाई में आवेदक उपस्थित नहीं रहे। दिनांक–07.12.2021 एवं दिनांक–06.01.2022 को अंतिम मौका दिये जाने के पश्चात् भी आवेदक उपस्थित नहीं हुये। इस कारण यह वाद विगत् पाँच वर्षों से अंगीकृत भी नहीं हो सका है। अंततः उपलब्ध कागजातों पर वाद के निष्पादन का निर्णय लिया गया। प्रश्नगत् वाद में खाता नम्बर–39, प्लॉट नम्बर–170, रकबा–4 कट्ठा, थाना–लालपुर की भूमि सन्निहित है। आवेदकों का दावा है कि विनियमन पदाधिकारी द्वारा वाद संख्या–02/2013-14 में धारा–71A के द्वितीय परन्तुक के अनुसार मुआवजा भुगतान का आदेश पारित किया गया था। किन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा इस आदेश के विरूद्ध अपील की सुनवाई करते हुये भूमि को आदिवासी रैयत को वापसी हेतु आदेश पारित कर दिया गया। आवेदक का दावा है कि प्रश्नगत भूमि उन्हें सादा हुकुमनामा से पचास वर्ष पूर्व ही प्राप्त हुई थी, जिस पर 1969 के पूर्व मकान का निर्माण करते हुये वे आवासीत है। इस प्रकार भूमि वापसी का दावा पूर्णतः कालबाधित है। निम्न् न्यायालय के आदेश से यह स्पष्ट होता है कि विनियमन पदाधिकारी द्वारा प्रश्नगत भूमि को वापसी योग्य माना, किन्तु 1969 के पूर्व का	

Scanned by CamScanner

आदेश का क्रम सख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।
	निर्माण होने के आधार पर धारा–71A (II) के प्रावधानों के तहत् मुआवजा भुगतान करते हुये, आवेदकों के पक्ष में भूमि को विनियमित करने का आदेश पारित कर दिया गया। उपायुक्त द्वारा स्वप्रेरणा से इस विषय की जाँच करायी गयी। तथा जाँच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि प्रश्नगत भूमि निर्विवाद रूप से आदिवासी खाते की भूमि है। जिसे आवेदकों के द्वारा काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत प्राप्त किया गया है। तकनीकी पदाधिकारियों के द्वारा स्थल निरीक्षण के क्रम में यह भी स्पष्ट हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर किये गये निर्माण 1969 के काफी वर्षो के बाद किये गये थे। आवेदकों के तरफ से ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि उक्त निर्माण कार्य 1969 के पूर्व से अवस्थित होने की पुष्टि होती है। इसी आधार पर प्रश्नगत भूमि को आदिवासी रैयतों को वापस किये जाने का आदेश पारित किया गया। यह भी स्पष्ट होता है कि विनियमन पदाधिकारी द्वारा कई मामलों में अधिनियम की गलत व्याख्या कर, भ्रामक तथ्यों के आधार पर मुआवजा भुगतान करते हुये आदिवासी भूमि को विनियमित करने के आदेश पारित किये गये थे। जिन्हें अपीलीय न्यायालय द्वारा रद्द किया गया है। इस न्यायालय द्वारा भी इसी तरह के अन्य मामलों में अपीलीय न्यायालय के आदेशों को बरकरार रखा गया है। प्रश्नगत् वाद में आवेदक लगातार न्यायालय से अनुपस्थित है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को मान्य करने का कोई आधार नहीं है। अतः इसे खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। आयुक्त। 10/11/2 (हस्ताक्षर) आयुक्त। 10/11/2 (हस्ताक्षर)	

Digitally signed by MANOJ JAISWAL
Date: 2023.11.29 04:03:29 -08:00
Location: 10.93.73.188

Scanned by CamScanner